**पंजीकृत डाक से, पावती सहित**

सं.711/एफएए/2014-15/ए-06 13 मई, 2014

**सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारीभारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)अपील सं.: 06/2014-15**

**श्री राहुल कुमार दास के दिनांक 07/03/2014 के आरटीआई आवेदन के संबंध में सिडबी के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के दिनांक 04/04/2014 के आदेश सं.1203 के विरुद्ध श्री राहुल कुमार दास द्वारा अपने 30/04/2014 के पत्रादि के जरिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत अपील**

**पृष्ठभूमि :**

श्री राहुल कुमार दासपुत्र स्व. नन्दु प्रसाद, निवासी मोहल्ला- लोहा का पुल, पोस्ट -झाउगंज, थाना- मेहंदीगंज, जिला-पटना – 800 008, बिहार द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 07/03/2014द्वारा जानकारी माँगी गई थी जो सिडबी द्वारा माईक्रोफाइनेंस कार्य हेतु चलाई जा रही योजनाओं, किन बैंको के द्वारा कितना ऋण प्रदान किया जा रहा है, इस योजना हेतु 2012-13 के लिए बजट प्रावधान, अनुसूचित जाति एवं बी.पी.एल. धारक हेतु विशेष प्रावधान व योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु किन कागजातों की जरूरत पड़ती है इत्यादि बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त करने के सम्बन्ध में थी। इससे संबंधित सूचना जो प्रदान की जा सकती थी, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, सिडबी द्वारा 04/04/2014को प्रदान कर दी गई। केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट न होने के कारण श्री राहुल कुमार दासद्वारा 30/04/2014 को यह अपील प्रेषित की गई है।

***Contd/-…***

**: 2 :**

**निर्णय :**मैंने अपीलार्थी द्वारा प्रेषित दिनांक 07/03/2014 के आवेदन पत्र,केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के दिनांक 04/04/2014 के आदेश सं.1203 तथा अपील में प्रस्तुत तथ्यों का भली भांति अवलोकन किया है। मेरे विचार से सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार उपलब्ध जानकारी आवेदनकर्ता को दे दी गई है । मेरे विचार में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी तथा उनके आदेश में किसी प्रकार की त्रृटि या भ्रामकता नही हैं । इसलिए यह अपील निरस्त की जाती हैं। चूँकि अपील में किसी फीस का प्रावधान नहीं है अतः संलग्न पोस्टल आर्डर वापिस किये जाते हैं ।

आदेश तदानुसार ।

**ह/-**

**[शैलेन्द्र महलवार]मुख्य महाप्रबंधक तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी**

दिनांक 13/05/2014 का पृष्ठांकन सं.711ए/एफएए/2014-15/ए-06

1) श्री राहुल कुमार दासपुत्र स्व. नन्दु प्रसाद, निवासी मोहल्ला- लोहा का पुल, पोस्ट- झाउगंज, थाना- मेहंदीगंज, जिला- पटना – 800 008, बिहार.(पो.आ. संलग्न)

2) श्री उ.शं. लाल, महाप्रबंधक एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, सिडबी, प्रधान कार्यालय, लखनऊ, उ.प्र.

**द्वारा सहा. महाप्रबंधक (प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का कार्यालय)**